

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रेस प्रकाशनी

10.06.2022

बीमा उत्पाद अनुमोदन अब आसान हुए

- एक कदम व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में

पूर्णतः बीमाकृत भारत बनाने की दिशा में ली गई कार्यसूची के प्रति अपने निरंतर प्रयास में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने अधिकांश जीवन बीमा उत्पादों के लिए 'यूज़ एण्ड फाइल' प्रक्रिया विस्तारित की है। इसका अर्थ है कि अब जीवन बीमा कंपनियाँ भी ये उत्पाद आईआरडीएआई का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त किये बिना प्रारंभ कर सकती हैं। यह आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 01.06.2022 के परिपत्र के अनुसार इसी प्रकार की छूटें सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों और प्रायः सभी साधारण बीमा उत्पादों के लिए उपलब्ध कराने के बाद उठाया गया कदम है।

पूर्व में जब उद्योग नवोदित स्थिति में था, तब बीमा कंपनियों के लिए कोई भी जीवन बीमा उत्पाद प्रारंभ करने से पहले पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) किया गया था; तथापि, उद्योग द्वारा प्राप्त परिपक्वता के साथ ही, यह विचार किया गया है कि आवश्यक छूटों की अनुमति दी जा सकती है। इस कदम से जीवन बीमाकर्ता बाजार की गतिशील आवश्यकताओं के अनुसार एक समयबद्ध तरीके से अधिकांश उत्पाद (वैयक्तिक बचत, वैयक्तिक पेंशन और वार्षिकी को छोड़कर) प्रारंभ करने में समर्थ होंगे। इसका परिणाम बीमाकर्ताओं के लिए व्यवसाय करने की सुगमता को सुधारने में होगा तथा इससे पालिसीधारकों के लिए उपलब्ध विकल्पों के विस्तार के लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा।

जीवन बीमाकर्ताओं से प्रत्याशित है कि उनके पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित उत्पाद प्रबंध और कीमत-निर्धारण नीति (बीएपीएमपीपी) विद्यमान हो। बोर्ड एक उत्पाद प्रबंध समिति (पीएमसी) भी गठित करेगा, जिसमें सदस्यों के रूप में बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक, मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य विपणन/वितरण अधिकारी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी होंगे तथा आमंत्रितियों के रूप में अपने वरिष्ठ प्रबंधन के अन्य सदस्यों को भी शामिल करने का विकल्प भी उसके पास होगा। उक्त पीएमसी, बीएपीएमपीपी के अनुरूप उत्पादों/राइडरों की समीक्षा और अनुमोदन करेगी।

यह प्रत्याशित है कि जीवन बीमा उद्योग, बीमा उत्पादों के अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण के तौर पर बाजार की उभरती आवश्यकताओं हेतु अधिक तेजी से प्रतिक्रिया दर्शाने के लिए इस अवसर का उपयोग करेगा जो पालिसीधारकों के लिए अधिक विकल्पों में परिणत होगा, जिससे भारत में बीमा व्यापन को बढ़ाने में आगे और सहायता मिलेगी।